तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/11/19	वकील वादी द्वारा निर्णय दिनांक 11/10/19 की पालना के डिक्री जारी करवाने बाबत स्टाम्प पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर डिक्री जारी कर प्राप्ति निरस्त किया गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :- 282/2019 अनवान राजेन्द्र कुमार बनाम प्रेम प्रकाश)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 159/2019

1 सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरजिन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़। -- वादी

-:: बनाम ::-

1 भूपेन्द्र सिह पुत्र हरजिन्द्र सिह
2 हरजिन्द्र सिह पुत्र सोहन सिह
3 सोहन सिह पुत्र चंद सिह
4 हरबंश कौर पत्नी सोहन सिह
5 जसविन्द्र कौर पत्नी हरजिन्द्र सिह
} जाति कम्बोज सिख निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6 सफी मोहम्मद पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7 मुफाबीबी
8 उषाबीबी
9 मन्नीबीबी
} पुत्रीयां फैनाबीबी पत्नी नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

10 शान मोहम्मद
11 शकील खां पुत्र
12 रशादबेगम
} पुत्र/पुत्री सायरा बीबी पत्नी मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

13 खुदाबक्श पुत्र ईस्माईल जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

14 हुसैन मोहम्मद
15 जुल्फकार
} पुत्रांन मोहम्मद दीन जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

16 आयशा पुत्री नूरमोहम्मद
17 बरकत अली पुत्र गुलाम हुसैन
18 नूरमोहम्मद पुत्र खुदाबक्श
19 शफीमोहम्मद पुत्र अहमददीन
} जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

20 अहमदखां पुत्र अधु जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनमानगढ़।

21 नूरजहां पुत्री अधु जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

22 रहमत बीबी पुत्री अधु जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

23 सोहन सिह पुत्र चंद सिह जाति कम्बोज सिख निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

24 नूरमोहम्मद पुत्र खुदाबक्श
25 मोहम्मद खलील पुत्र भोलूखां
} जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
26 हरूनखां पुत्र भोलूखां जाति
27 शाहअली पुत्र श्रवण अली

28 कासम अली पुत्र फतु जाति मुसलमान
29 सुखदेवसिह पुत्र दर्शनसिह जाति कम्बोज सिख
} निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

30 जफर अली पुत्र गुलाम मोहम्मद
31 नूरसमन्द पुत्र बक्शाया
32 जैना पुत्री नूरदीन
33 शकीला पुत्री नूरदीन
34 सफीया बेगम पुत्री अहमददीन
} जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व हनुमानगढ़।

Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

35 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
36 सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा हनुमानगढ जंक्शन।
37 बैंक आफ महाराष्ट्रा शाखा हनुमानगढ टाउन।
38 एस.बी.आई. (एडीबी) हनुमानगढ़।
39 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक हनुमानगढ जंक्शन।
40 यूको बैंक हनुमानगढ टाउन।
41 ओ.बी.सी. शाखा हनुमानगढ टाउन

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत विभाजन

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1.	श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता	वादी
2.	श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता	प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5, 14, 15, 17, 20 ता 25, 27 ता 29, 31 ता 33
3.	राज पैरोकार	प्रतिवादी संख्या 35

दिनांक :— 11.10.2019

—:: निर्णय ::—

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 37 एन.जी.सी. के खाता संख्या 24/56 मे वादी व प्रतिवादीगण के नाम कुल 0.338 हैक्टर मय गैरमुमकिन, चक 37 एन.जी.सी. खाता संख्या 69/69 मे 0.168 हैक्टर, चक 37 एन.जी.सी. खाता संख्या 77/10 मे 6.325 हैक्टर, चक 37 एन.जी.सी. खाता संख्या 80/37 मे 3.922 हैक्टर चक 38 एन.जी. सी. खाता संख्या 20/22 मे 11.385 हैक्टर चक 39 एन.जी.सी. खाता संख्या 38/36 मे 1.265 हैक्टर व चक 39 एन.जी.सी. खाता संख्या 50/47 मे 2.277 हैक्टर भूमि संयुक्त खाता मे अलग अलग हिस्सानुसार दर्ज है नकल जमाबंदी चक 37 एन.जी.सी. खाता संख्या 24/56, 69/69, 77/10, 80/75 सम्वत् 2075–78, चक 39 एन.जी.सी. खाता संख्या 38/36, 50/47 सम्वत् 2072–75 व चक 38 एन.जी.सी. खाता संख्या 20/22 सम्वत 72/75 हमराह पेश है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 34 के साथ अलग अलग खातो मे संयुक्त खाता मे दर्ज कागजात है जिसमे से मुझ वादी सुरेन्द्र सिह के नाम वाके चक 37 एन.जी.सी. खाता संख्या 24/56 मे 0.126 हैक्टर, खाता संख्या 77/10 मे 0.464 हैक्टर, व खाता संख्या 80/75 मे 0.986 हैक्टर कुल 1.576 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 1 भूपेन्द्र सिह के नाम चक 37 एन.जी.सी. खाता संख्या 24/56 मे 0.127 हैक्टर, खाता संख्या 80/75 मे 0.987 हैक्टर कुल 1.114 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिह के नाम वाके चक 37 एन.जी.सी. खाता संख्या 69/69 मे 0.084 हैक्टर कुल 0.084 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 3 सोहन सिह के नाम चक 37 एन.जी.सी. खाता संख्या 80/75 मे 0.278 हैक्टर भूमि व इसी प्रकार वाके चक 38 एन.जी.सी. खाता संख्या 20/22 मे प्रतिवादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिह के नाम 1.518 हैक्टर व प्रतिवादीया संख्या 4 हरबंश कौर के नाम 1.148 हैक्टर भूमि दर्ज है व इसी प्रकार चक 39 एन.जी.सी. खाता संख्या 38/39 मे प्रतिवादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिह के नाम 0.126 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 जसविन्द्र कौर के नाम 0.126 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 50/47 प्रतिवादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिह के नाम 0.506 हैक्टर व प्रतिवादीया संख्या 5 जसविन्द्र कौर के नाम 0.633 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण ने काश्त की सुविधा अनुसार काफी अरसा पूर्व घराघरू तौर पर विभाजन कर रखा है एवं इसी घराघरू विभाजन के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है और आज मौका पर भी मुताबिक घरू बंटवारा कब्जा काश्त है परन्तु

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकार्ड में भूमि संयुक्त दर्ज होने के कारण बट सींव आदि को लेकर सहखातेदारो मे अक्सर विवाद बना रहता है इसलिए वादी अपने हक व हिस्सा की भूमि का मुताबिक घराघरू बंटवारा खाता विभाजन करवाकर रकम राज अलग अलग कायम करवाने का अधिकारी है। अतः वादी उक्तानुसार खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है तथा मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का कब्जा निम्न अनुसार है :–

(क) वादी सुरेन्द्र सिह व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 भूपेन्द्र सिह, हरजिन्द्र सिह, सोहन सिह के कब्जा काश्त की भूमि :–चक नम्बर 37 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 156/251 (20) किला नम्बर 25, 16/3/.084, पत्थर नम्बर 158/256 (36) किला नम्बर 9, 11, 12, 16/2/.127, 19/2/.100, 20 ता 24। कुल 2.588 हैक्टर मे वादी सुरेन्द्र सिह 1.112 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 भूपेन्द्र सिह 1.114 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिह 0.084 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 3 सोहन सिह 0.278 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है।

(ख) वादी सुरेन्द्र सिह, प्रतिवादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिह व प्रतिवादी संख्या 4 हरवंश कौर के कब्जा काश्त की भूमि :– चक नंम्बर 38 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 153/247 (6) किला नम्बर 19/1/.211, 20 पत्थर नम्बर 156/255 (34) किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14/1/.199 कुल 3.193 हैक्टर भूमि मे वादी सुरेन्द्र सिह 0.464 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिह 1.581 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 4 हरबंश कौर 1.148 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार है।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिह व प्रतिवादी संख्या 5 जसविन्द्र कौर के कब्जा काश्त की भूमि :– चक नंम्बर 39 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 152/247 (3) किला नम्बर 1, 6/1/.063, 7/1/.063, 8, 9,/10, 17 कुल 1.391 हैक्टर भूमि मे प्रतिवादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिह 0.632 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 5 जसविन्द्र कौर 0.759 हैक्टर के खातेदार काश्तकार है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित संयुक्त खाता की भूमि का मुताबिक घराघरू बंटवारा करवाकर अलग अलग राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवा दे पहले तो वे टाल मटोल करते रहे आखिर सात रोज पूर्व मुकाम ढालिया मे स्पष्ट इन्कार हो गये यही विनाय मुखास्मत दावा है।

प्रतिवादी संख्या 35 बतौर भू–धारक व प्रतिवादीगण संख्या 36 से 41 के यहां भूमि रहन होने से वाद मे पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे :–

(क) वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित संयुक्त खाता की भूमि का मुताबिक विभाजन व कब्जा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम खाता विभाजन कर उसी अनुसार रकम राज अलग अलग कायम की जावे।

(ख) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमायी जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा इकबाल प्रस्तुत किया प्रतिवादी संख्या 20 ता 22 द्वारा इकबालदावा मय काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया काऊन्टर क्लेम में कथन किया गया कि हम प्रतिवादीगण/वादीगण के नाम वाके चक 37 एन.जी.सी. खाता संख्या 17/10 सम्वत 2075–2078 मे 1.581 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड है इसी प्रकार वाके चक 38 एन.जी.जी. खाता संख्या 20/22 सम्वत 2072–75 मे 3.100 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता मे है परन्तु वादीगण व प्रतिवादीगण ने

लगातार 4

Scanned by CamScanner

काश्त की सुविधा व अच्छी मंदी अनुसार घरू बंटवारा काफी अर्सा पूर्व कर रखा है परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड में खाता संयुक्त होने के कारण हम वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे सींव बट रकम राज आदि का विवाद रहता है अतः हम प्रतिवादीगण/वादीगण अपना खाता मुताबिक कब्जा काश्त अलग करवानें के अधिकारी है। हम प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चक 37 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 157/255 मुरब्बा नम्बर 34 किलानम्बर 1, 10, 11 सालम, 20 में 0.127 कुल .886 हैक्टर चक 38 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 156/255 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 17, 18, 25 सालम किला नम्बर 14 में 0.054 हैक्टर पत्थर नम्बर 153/247 मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 1, 21, 22, 23, 24, 25 सालम किला नम्बर 16/.199 हैक्टर पत्थर नम्बर 153/248 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 5/.253 कुल 3.795 हैक्टर। दोनों चको कि कुल तादादी 4.681 हैक्टर।

हम प्रतिवादीगण ने वादीगण को कई दफा कहा कि अर्जीदावा की दफा 2 में वर्णित भूमि का खाता घरू बंटवारा मुताबिक अलग अलग करवा लेवे पहले तो वे टाल मटोल करते रहे परन्तु अब उन्होने उपरोक्त अनवान सदर का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है यही विनाय मुखारामत है।

काऊटर क्लेम प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। लिहाजा काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि हम प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर हम प्रतिवादीगण का खाता कब्जा काश्त अनुसार अलग कायम कर रकम राज अलग अलग कायम की जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 22 की और से प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम पर वादी के अधिवक्ता द्वारा कोई एतराज नहीं जताते हुए शेष प्रतिवादीगण की और से जबाब पेश नहीं करते हुए वाद वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम को स्वीकार किये जानें बाबत कोई उजर एतराज नहीं किया।

प्रतिवादी संख्या 35 की और से राज पैराकार द्वारा जबाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वादी वाद पत्र डिक्री किया जाता है, तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयारा कायम नहीं होनें से साक्ष्य वादी लिये जाकर बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौरानें बहस अपनें वाद पत्र तथा काऊन्टर क्लेम के तथ्यों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत भूमि में

लगातार 5

Scanned by CamScanner

पक्षकारान रिकार्डेड खातेदार है अतः रिकार्डेड खातेदार होनें तथा किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवम् प्रतिवादी संख्या 20 ता 22 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत पक्षकारान की खातेदारी भूमि का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

(क) वादी सुरेन्द्र सिह के हिस्सा की 1.112 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 भूपेन्द्र सिह, के हिस्सा की 1.114 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिह के हिस्सा की 0.084 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 3 सोहन सिह के हिस्सा की 0.278 हैक्टर भूमि का विवरण :– चक नम्बर 37 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 156/251 (20) किला नम्बर 25, 16/3/.084, पत्थर नम्बर 158/256 (36) किला नम्बर 9, 11, 12, 16/2/.127, 19/2/.100, 20 ता 24 कुल 2.588 हैक्टर भूमि।

(ख) वादी सुरेन्द्र सिह, के हिस्सा की 0.464 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 हरजिन्द्र के हिस्सा की 1.581 हैक्टर, व प्रतिवादी संख्या 4 हरवंश कौर के हिस्सा की 1.148 हैक्टर भूमि का विवरण :– चक नंम्बर 38 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 153/247 (6) किला नम्बर 19/1/.211, 20 पत्थर नम्बर 156/255 (34) किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14/1/.199 कुल 3.193 हैक्टर भूमि।

(ग) प्रतिवादी संख्या 2 हरजिन्द्र सिह के हिस्सा की 0.632 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 5 जसविन्द्र कौर के हिस्सा की 0.759 हैक्टर भूमि का विवरण :– चक नम्बर 39 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 152/247 (3) किला नम्बर 1, 6/1/.063, 7/1/.063, 8, 9,/10, 17 कुल 1.391 हैक्टर भूमि।

(घ) प्रतिवादीगण संख्या 20 अहमद खां, प्रतिवादी संख्या 21 नूरजहां, प्रतिवादी संख्या 22 रहमत बीबी की बहिस्सा बराबर भूमि का विवरण :– चक 37 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 157/255 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 1, 10, 11 सालम, 20 में 0.127 कुल .886 हैक्टर चक 38 एन.जी.सी. के पत्थर नम्बर 156/255 मुरब्बा नम्बर 34 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 17, 18, 25 सालम किला नम्बर 14 में 0.054 हैक्टर पत्थर नम्बर 153/247 मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 1, 21, 22, 23, 24, 25 सालम किला नमबर 16/.199 हैक्टर पत्थर नम्बर 153/248 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 5/.253 कुल 3.795 हैक्टर। दोनों चको कि कुल तादादी 4.681 हैक्टर।

शेष खाता बदस्तुर रखते हुए तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 11-10-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आरएएस

राजस्व वाद संख्या :– 159/2019

1 सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री हरजिंद्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 भूपेंद्र सिंह पुत्र हरजिंद्र सिंह
2 हरजिंद्र सिंह पुत्र सोहन सिंह
3 सोहन सिंह पुत्र चंद सिंह
4 हरबंश कौर पत्नी सोहन सिंह
5 जसविंद कौर पत्नी हरजिंद्र सिंह
} जाति कम्बोज सिख निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6 रफी मोहम्मद पुत्र अहमददीन जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7 मुफाबीबी
8 उषाबीबी
9 मन्नीबीबी
} पुत्रीयां फैनाबीबी पत्नी नूरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

10 शान मोहम्मद
11 शकील खां
12 रशादबेगम
} पुत्र/पुत्री सायरा बीबी पत्नी मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

13 खुदाबक्श पुत्र ईस्माईल जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

14 हुसैन मोहम्मद
15 जुल्फकार
} पुत्रांन मोहम्मद दीन जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

16 आयशा पुत्री नूरमोहम्मद
17 बरकत अली पुत्र गुलाम हुसैन
18 नूरमोहम्मद पुत्र खुदाबक्श
19 शफीमोहम्मद पुत्र अहमददीन
} जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

20 अहमदखां पुत्र अधु जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनमानगढ़।
21 नूरजहां पुत्री अधु जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
22 रहमत बीबी पुत्री अधु जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
23 सोहन सिंह पुत्र चंद सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

24 नूरमोहम्मद पुत्र खुदाबक्श
25 मोहम्मद खलील पुत्र भोलूखां
26 हरूनखां पुत्र भोलूखां जाति
27 शाहअली पुत्र श्रवण अली
} जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

28 कासम अली पुत्र फतु जाति मुसलमान
29 सुखदेवसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति कम्बोज सिख
} निवासी ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

30 जफर अली पुत्र गुलाम मोहम्मद
31 नूरसमन्द पुत्र बक्शाया
32 जैना पुत्री नूरदीन
33 शकीला पुत्री नूरदीन
34 सफीया बेगम पुत्री अहमददीन
} जाति मुसलमान निवासी ढालिया तहसील व हनुमानगढ़।

35 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
36 सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा हनुमानगढ जंक्शन।
37 बैंक आफ महाराष्ट्रा शाखा हनुमानगढ टाउन।
38 एस.बी.आई. (एडीबी) हनुमानगढ़।
39 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक हनुमानगढ जंक्शन।
40 यूको बैंक हनुमानगढ टाउन।
41 ओ.बी.सी. शाखा हनुमानगढ टाउन

– – प्रतिवादीगण

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.28 16:28:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: